

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ~~चाकसू~~ किरधापी लालपुरा

154/2011

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का ~~कादेडा~~ कादेडा  
व भू.अ.नि. वृत्त ~~कादेडा~~ कादेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~चाकसू~~ चाकसू / नायब  
तहसीलदार ~~चाकसू~~ चाकसू की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सेवारामपुरा तहसील ~~चाकसू~~ चाकसू व जिला ~~जयपुर~~  
जयपुर की जमाबंदी सम्वत् 2025-28 में खाता संख्या 74  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व  
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सेवारामपुरा	74	राजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह धनसिंह	राजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र - धनसिंह

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड लोक अदालत  
चाकसू उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू जयपुर।

दिनांक 17/12/2011

क्रमांक:- राजसू/2011/3803  
प्रतिलिपि:- चाकसू

1. तहसीलदार, तहसील चाकसू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री राजेश उर्फ राजेन्द्र को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत (पुरा)  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू जयपुर।